भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1865

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी दिशानिर्देश

†1865. श्री राम कुमार कश्यप :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज एफ० आई० आर० कराने हेतु क्या-क्या निर्धारित दिशानिर्देश हैं तथा इन दिशानिर्देशों का अनुपालन उनके द्वारा किया जा रहा है या नहीं इसे सुनिश्चित किस प्रकार किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत से स्पष्ट मामलों में भी पुलिस एफ० आई० आर० में टाल-मटोल करती है या दर्ज नहीं करती है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की कितनी शिकायतें पिछले तीन वर्षों में मिली हैं तथा इन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान मोबाइल खोने के कुल कितने मामले दर्ज किए गए, कितने मामलों में निगरानी रखी गयी और कितने मोबाइल वापस प्राप्त किये गए?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) : गृह मंत्रालय ने प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के विषय पर सभी राज्य सरकारों/संघ

राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित परामर्शी-पत्र जारी किए हैं:

i. **सीमा के क्षेत्राधिकार को दरकिनार करते हुए, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के संबंध में दिनांक 10.05.2013 का परामर्शी-पत्र।**

ii. जब सूचना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता हो तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने के संबंध में दिनांक 06.02.2014 का परामर्शी-पत्र।

iii. अनिवार्य रूप से प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने में कोई भेदभाव नहीं बरतने के संबंध में दिनांक 12.10.2015 का परामर्शी-पत्र।

दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि वे प्रत्येक ऐसी शिकायतों के मामले में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हैं जिनमें संज्ञेय अपराध होने का खुलासा होता है। दिल्ली पुलिस ने प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अनेक स्थाई आदेश एवं दिशानिर्देश जारी किए हैं, जैसे कि प्राथमिक सूचना रिपोर्टों के संबंध में स्थाई आदेश संख्या 145/1989, दिल्ली में खोने वाले वस्तुओं/दस्तावेजों के संबंध में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने हेतु वेब आधारित आवेदन के साथ एकीकृत मोबाइल एप के संबंध में स्थाई आदेश संख्या 430/2014 और चोरी के मामले में ई-प्राथमिक सूचना रिपोर्ट वेब एप्लिकेशन के संबंध में स्थाई आदेश संख्या 443/2016।

(ख) और (ग) : विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष 2016 (30.06.2016 तक) के दौरान प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं किए जाने के संबंध में, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या का ब्योरा निम्नानुसार है:-

	2013	2014	2015	2016 (30.06.2016 तक)
प्राप्त शिकायतें	449	363	271	113
सही पाई गई कुल शिकायतें	42	50	34	9

प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के लिए दोषी पाए गए पुलिस कार्मिकों के विरूद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(घ) : विगत दो वर्षों और चालू वर्ष 2016 (30.06.2016 तक) के दौरान मोबाइल खोने (चोरी सहित) के दर्ज मामलों, उन मामलों जिनमें मोबाइलों को सर्विलांस पर रखा गया और बरामद मोबाइलों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	खोए मोबाइलों की सं. (चोरी सहित)	सर्विलांस पर रखे गए मोबाइलों की सं.	बरामद किए गए मोबाइलों की सं.
2014	66724	47310	2237
2015	62373	47976	3415
2016 (30.06.16 तक)	24482	19698	1068

******

अनुलग्नक के पृष्ठ 1 का 1
राज्य सभा अता० प्र० सं० 1865

प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के मामले में दोषी पाए गए पुलिस कार्मिकों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का वर्ष-वार ब्यौरा

की गई कार्रवाई: 2013

	निरीक्षक	उप-निरीक्षक	सहा.उप-रीक्षक	हेड कांस्टेबल	कुल
चेतावनी/नाराजगी/व्याख्या/परामर्शी मेमो	10	14	02	2	28
निंदा	5	4	4	8	21
विभागीय जांच	3	2	0	0	5
बड़ी सजा (सेवा समाप्ति)	0	2	0	0	2
कुल	18	22	6	10	56

की गई कार्रवाई: 2014

	सहा. पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप-निरीक्षक	सहा.उप-निरीक्षक	हेड कांस्टेबल	कुल
चेतावनी/नाराजगी/व्याख्या/परामर्शी मेमो	2	6	13	6	7	34
निंदा	0	2	9	6	0	17
विभागीय जांच	0	0	0	1	0	1
कुल	2	8	22	13	7	52

की गई कार्रवाई: 2015

	निरीक्षक	उप-निरीक्षक	सहा.उप-निरीक्षक	हेड कांस्टेबल	कुल
चेतावनी/नाराजगी/व्याख्या/परामर्शी मेमो	8	15	0	4	27
निंदा	2	5	0	4	11
विभागीय जांच	0	2	0	1	3
बड़ी सजा (एक वर्ष की वेतन वृद्धि रोकना)	0	0	0	1	1
कुल	10	22	0	10	42

की गई कार्रवाई: 2016 (30.06.2016 तक)

	निरीक्षक	उप-निरीक्षक	सहा.उप-निरीक्षक	हेड कांस्टेबल	कुल
चेतावनी/नाराजगी/व्याख्या/परामर्शी मेमो	0	18	2	6	26
निंदा	0	1	0	3	4
विभागीय जांच	0	0	1	0	1
कुल	0	19	3	9	31

*****